

17/11

17/11

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दाँतारामगढ़ जिला-सीकर

दिनांक - 17.11.21

क्रमांक/कैम्प/2021/542

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार/ नायब तहसीलदार ...लोहाम..... के आधार पर ...राजेश कुमार.....

व-ह. चोमालरी की कमी खला सजा 172 के अग्रे डा

लाइराम पुत्र कथला के स्थान पर लाइराम पुत्र कथराम

द्वारा उरने के आदेश दिए जाते हैं। इसी की न्यायालय

का स्थान न ही वे रिपोर्ट में दर्ज करें।

तहसीलदार दाँतारामगढ़ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन (गवर्न) के संग अभियान - 2021

राजेश कुमार अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी दाँतारामगढ़ जिला सीकर